न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 660–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–9–2006 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला विदिशा प्रकरण कमांक 14/स्व.निग./2009–10.

———

रामचरण पुत्र स्व. श्री तखतसिंह लोधी,
निवासी ग्राम पूनाखेड़ी तहसील कुरवाई जिला विदिशा
म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——— अनावेदक

———

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री बी.एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17–11–2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 14/स्व./निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 9–1–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आावश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर का आदेश अधिकारिता विहीन है । आवेदक भूमिहीन कृषक है तथा भूमि का व्यवस्थापन अपने हक में कराने का विधिक अधिकारी है । विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाने के उपरांत व्यवस्थापन आदेश पारित किया था जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने त्रुटि की है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक व्यवस्थापन का पात्र नहीं है उसके पक्ष में अवैधानिक तरीके से व्यवस्थापन किया गया जिसकी जानकारी होने पर अपर कलेक्टर ने विचारण न्यायालय के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम) 1984 के संबंध में है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है । आदेश में उन्होंने यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से इस बात की जांच किए बिना तथा पटवारी से भूमिहीन होने का प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना तथा अधिनियम की धारा 3 के तहत दिनांक 2.10.84 को आवेदक रामचरण के कब्जे संबंधी प्रमाण प्राप्त किए बिना 1998–99 से कब्जा होने के प्रमाण आदेश पर भूमि बंटन का प्रकरण गलत शीर्ष में दर्ज कर त्रुटिपूर्ण तरीके से अवैधानिक आदेश पारित किया है । अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये निष्कर्षों की पुष्टि अभिलेख से होती है ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर